"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301 रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2012 — अग्रहायण 20, शक 1934

परिवहन विभाग

केपीटल कॉम्पलेक्स, महानदी भवन, नया रायपुर

मंत्रालय, रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र के रूप में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित निम्नलिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

स.क्र. (1)	शहर/नगर (2)		पार्श्वस्थ स्थान/क्षेत्र (3)
1.	अम्बिकापुर	1.	रेल्वे स्टेशन से दरिमा हवाई पट्टी व्हाया कृषि महाविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, पी.जी. महाविद्यालय, अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, बस स्टैण्ड, भारत माता चौक, कंठी सुहागा.
		2.	रेल्वे स्टेशन से लखनपुर, इंजीनियरिंग कालेज व्हाया होली-क्रास महाविद्यालय, घड़ी चौक, सत्तीपारा स्कूल, बस स्टैण्ड, जिला अस्पताल, बिलासपुर चौक, लोधिमा मेण्ड्रा रोड.
		3.	आक्सीजन पार्क से रेल्वे स्टेशन व्हाया महामाया मन्दिर द्वार, महामाया चौक, गांधी चौक, होली-क्रास महाविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय चौक.
		4.	बतौली से शंकर घाट व्हाया रघुनाथपुर, लुचकी, नवागढ़, महामाया मन्दिर, हनुमान मन्दिर, जिला अस्पताल, बस स्टैण्ड, प्रतापपुर चौक, लरनसाय चौक, संजय पार्क.

(1)	(2)		(3)
		5.	तकिया से रेल्वे स्टेशन व्हाया लरनसाय चौक, महामाया चौक, पुराना बस स्टैण्ड नमना, गंगापुर, माता, राजमोहनी देवी भवन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012 दिनांक 04-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 4th December 2012

NOTIFICATION

No. F 5-20/VIII-Tr./2012.— In exercise of the power conferred by clause (c) of serial number IV of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes, namely :—

S. No.	City/Town		Adjacent Places/Areas
(1)	(2)		(3)
I.	AMBIKAPUR	1.	Railway Station to Darima Hawai Patti Via Krishi Mahavidyalaya, Central Mahavidyalaya, P. G. Mahavidyalaya, Ambedkar Chowk, Ghadi Chowk, Bus Stand, Bharat Mata Chówk, Kanthi Suhaga
		2.	Railway Station to Lakhanpur Engineering College Via Holly-Cross Mahavidyalaya Ghadi Chowk, Sattipara School, Bus Stand, District Hospital, Bilaspur Chowk, Lodhima Mendra- Road.
		3	Oxygen Park to Railway Station Via Mahamaya Mandir Dwar, Mahamaya Chowk Ghadi Chowk, Holly-Cross Mahavidyalaya Central Mahavidyalaya Krishi Mahavidyalaa, Chowk.
		4	Batauli to Shankar Ghat Via Raghunathpur, Luchki Nawagarh Mahamaya Mandir, Hanunan Mandir, District Hospital Bus Stand Pratap pur Chowk, Laransay Chowk, Sanjay Park.
		5	Takiya To Railway Station Via Laransay Chowk Mahamaya Chowk Old Bus Stand Namna Gangapur Mata Rajmohini Devi Bhawan

By order and in the name of the Governor of Chhattisgath
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2012.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2012

क्रमांक 6271/तक./परि./2012.--यतः, रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा अबूझमाड़िया जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही है. आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयान, जिसमें एम्बुलेंस तथा स्कूल बस सम्मिलित है, का उपयोग, गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है;

और यतः, राज्य शासन का मत है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना जनहित में वांछनीय है;

अतएव छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :--

सारणी

स.क्र. (1)	वाहन पंजीयन क्रमांक (2)	वाहन का प्रकार (3)
1.	सीजी-17-जेडबी-0301	डीसीएम टोयटा
2.	सीजी-17-जेडए-0140	स्कूल बस
3.	सीजी-17-जेडबी-0153	ट्रक टाटा-608
4.	सीजी-17-जेडजी-0246	ट्रैक्टर-एम.एम.
5.	सीजी-17-जेडजी-0247	ट्रॉली
6.	सीजी-04-डी-3729	मारूति वरसा एम्बुलेंस
7.	सीजी-17-जी-3943	जे.सी.बी. ट्रेक्टर
8.	सीजी-17-जी-3944	ट्रॉली
9.	सीजी-21-एच-0133	टाटा-1109
10.	सीजी-17-ईजी-0256	जीप-ट्रॉली
11.	सीजी-17-जेडडी-0389	टाटा-407, एम्बुलेन्स
12.	सीजी-17-जी-0613	टेम्पो, ट्रेवलर
13.	सीजी-21-जी-0148	सोनालिका ट्रैक्टर
14.	सीजी-21-जी-0149	ट्रॉली
15.	सीजी-21-एफ-0102	स्कूल बस
16.	सीजी-21-सी-0127	एम. एम. जीप
17.	सीजी-21-सी-0128	एम. एम. जीप
18.	सीजी-21-डी-0122	टाटा सूमो
19.	सीजी-17-सी-2427	फोर्ड कार

क्रमांक 6271/तक./परि./2012.—Whereas, Ramkrishna Mission Ashram. Narayanpur is indulged in multidimensional social services for the overall development of Abhujhmariya tribes Various types of motor vehicles including ambulance and school bus, owned by the Ashram are being used for the free transportation of poor and tribal children and in other social srevices;

And whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by the Ramkrishna Mission Ashram. Narayanpur from payment of motor vehicle tax in the public interest:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the motor vehicles owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur as specified in the table below, from payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of issue of this notification, namely :—

TABLE

S. N. (1)	Vehicles Registration No. (2)	Type of Body (3)
1.	CG-17-ZB-0301	DCM Toyota
2.	CG-17-ZA-0140	School Bus
3.	CG-17-ZB-0153	Truck Tata-608
4.	CG-17-ZG-0246	Tractor M. M.
5.	CG-17-ZG-0247	Trolley
6.	CG-04-D-3729	Maruti Versa Ambulance
7.	CG-17-G-3943	J. C. B. Tractor
8.	CG-17-G-3944	Trolley
9.	CG-21-H-0133	Tata-1109
10.	CG-17-EG-0256	Jeep Trolley
11.	CG-17-ZD-0389	Tata-407 Ambulance
12.	CG-17-G-0613	Tempo Traveller
13.	CG-21-G-0148	Sonalika Tractor
14.	CG-21-G-0149	Trolley
15.	CG-21-F-0102	School Bus
16.	CG-21-C-0127	M. M. Jeep
17.	CG-21-C-0128	M. M. Jeep
18.	CG-21-D-0122	Tata Sumo
19.	CG-17-C-2427	Ford Car

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301 रायपुर, मंगलवार दिनांक 11 दिसम्बर 2012 - अग्रहायण 20, शक 1934

परिवहन विभाग
केपीटल कॉम्पलेक्स, महानदी भवन, नया रायपुर

मंत्रालय, रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-20/आठ-परि./2012. – छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र के रूप में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् –

क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
01	अम्बिकापुर	1	रेलवे स्टेशन से दरिमा हवाई पट्टी व्हाया कृषि महाविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, पी.जी. महाविद्यालय, अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, बस स्टैण्ड, भारत माता चौक, कंठी सुहागा.
		2	रेलवे स्टेशन से लखनपुर, इंजीनियरिंग कालेज व्हाया होलीक्रास महाविद्यालय, घड़ी चौक, सत्तीपारा स्कूल, बस स्टैण्ड, जिला अस्पताल, बिलासपुर चौक, लोधीमा मेण्ड्रा रोड.
		3	आक्सीजन पार्क से रेलवे स्टेशन व्हाया महामाया मन्दिर द्वार, महामाया चौक, गांधी चौक, होलीक्रास महाविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय चौक.

स	शहर/नगर	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र	
(1)	(2)	(3)	
		4.	बतौली से शंकर घाट व्हाया रघुनाथपुर, लुचकी, नवागढ़, महामाया मन्दिर, हनुमान मन्दिर, जिला अस्पताल, बस स्टैण्ड, प्रतापपुर चौक, लरनसाय चौक, संजय पार्क.
		5	तकिया से रेलवे स्टेशन व्हाया लरनसाय चौक, महामाया चौक, पुराना बस स्टैण्ड ननना, गंगापुर, माता, राजमोहनी देवी भवन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 04 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012 दिनांक 04-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 4th December 2012

NOTIFICATION

No. F 5-20/VIII-Tr./2012.— In exercise of the power conferred by clause (c) of Serial number IV of First Schedule to the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes, namely —

"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64 रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012 - चैत्र 11, शक 1934

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-14/आठ-परि./2012. – छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के मद-चार, के उप-मद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र हेतु, नगर मार्गों के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् –

सारणी

क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
01	रायपुर	1	रेलवे स्टेशन, रायपुर से नया रायपुर - रेलवे स्टेशन से जेल रोड, घड़ी चौक, गौरव-पथ, तेलीबांधा चौक, नेशनल हाईवे क्रमांक 6, ट्रांसफर स्टेशन, जोरा इंटरचेंज होकर नया रायपुर मंत्रालय, मार्ग की कुल दूरी 25 किलोमीटर एक तरफ.
		2	मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, गेट नम्बर 4 से नया रायपुर - डी.के.एस. भवन से जेल रोड, घड़ी चौक, गौरव पथ, तेलीबांधा चौक, नेशनल हाईवे क्रमांक 6, ट्रांसफर स्टेशन, जोरा इंटरचेंज होकर नया रायपुर कैपीटल कॉम्पलेक्स, मार्ग की कुल दूरी 23 किलोमीटर एक तरफ.

स.	शहर/नगर	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र	
(1)	(2)	(3)	
		3	कबीर नगर से नया रायपुर कैपीटल कॉम्पलेक्स - कबीर नगर से हीरापुर चौक, टाटीबंध, दीनदयाल उपाध्याय नगर, संतोषी नगर चौक, पचपेड़ी नाका, कांशीराम नगर, वापस पचपेड़ी नाका से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43, डूमरतराई होकर नया रायपुर मंत्रालय, मार्ग की कुल दूरी 38 किलोमीटर एक तरफ.
		4	टाटीबंध चौक से नया रायपुर कैपीटल कॉम्पलेक्स - टाटीबंध चौक से दीनदयाल उपाध्याय नगर, संतोषी नगर, छेड़ीखेड़ी, जोरा इंटरचेंज होकर नया रायपुर कैपीटल कॉम्पलेक्स, मार्ग की कुली दूरी 34 किलोमीटर एक तरफ.
		5	नेशनल हाईवे क्रमांक 43 तथा नया रायपुर रोड जंक्शन से नेशनल हाईवे क्रमांक 6, नया रायपुर रोड क्रमांक 2, जंक्शन क्रिकेट स्टेडियम, मार्ग की कुल दूरी 18 किलोमीटर एक तरफ.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ 5-14/आठ-परि./2012.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F 5-14/VIII-Tr./2012.—In exercise of the power conferred by Sub-Item (c) of item-IV of the First Schedule to the Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Act, 1991 (No. 25 of 1991) the State Government, hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below, for the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes, namely —